राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

-:: निर्णय ::-

नेमीचन्द : बनाम : श्रीमती पालू वगै.

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या : **98/1993**
अन्तर्गत् धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

* * * * *

निर्णय दिनांक : **26 अप्रेल, 2006**

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार आचार्य

अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री आर.के.थानवी,
रेस्पोंडेण्ट्स के अधिवक्ता श्री एस.एन.त्रिवेदी।

न्यायालय द्वारा :

यह अपील जिला न्यायाधीश, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.3.1993 की नाराजगी में प्रतिवादी संख्या 2 नेमीचन्द द्वारा वादी-रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध पेश की गई है। अपील पेश होने पर एडमिट की जाकर रेस्पोंडेण्ट को समन जारी किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। दौराने अपील प्रतिवादी-रेस्पोंडेण्ट बंशीलाल की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लाए गए।

तथ्य दावा वादी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत घोषणा एवं अचल सम्पति के विभाजन का इन तथ्यों के साथ पेश किया कि वादीनी तथा प्रतिवादीगण सगे भाई-बहन हैं, जिनको पिता स्वर्गीय हणुताराम का स्वर्गवास वर्ष 1970 में हुआ एवं वे अपनी मृत्यु के समय जोधपुर में महामंदिर रेलवे स्टेशन के सामने वाद-पत्र

के पद संख्या 2 में वर्णित मकान छोड़कर गए। पक्षकारों की माता का निधन 4.4.1986 को होने पर जब वादीनी गई तो उसे जानकारी हुई कि दोनों प्रतिवादीगण उक्त पुश्तैनी मकान को बांट रहे हैं, लेकिन वादीनी को हिस्सा नहीं देना चाहते। अत: वादिनी ने अपने 1/3 हिस्से की प्राप्ति हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया। उक्त दावे का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया और दावे में लिखे इस तथ्य को स्वीकार किया कि वादीनी प्रतिवादीगण की सगी बहन है और उनके पिता उक्त मकान छोड़कर मरे हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में जाहिर किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की शादी व अन्य अवसरों पर तीस-चालीस हजार रूपए खर्च किये तथा वादीनी शादीशुदा है और उक्त सम्पति के हिस्से की हकदार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अलग से जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 राधाकिशन के गोद चला गया था अत: उसका उनके पिता की सम्पति में कोई अधिकार नहीं है। इस बात से इनकार किया कि प्रतिवादीगण सम्पति का बंटवारा कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया कि हिंन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत वादिनी विवादग्रस्त सम्पति का बंटवारा नहीं करा सकती।

पक्षकारों के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :

1. आया विवादग्रस्त सम्पति में वादीनी का 1/3 हिस्सा है जिसे घोषित कराने तथा अपने हिस्से का कब्जा पाने की अधिकारी है?
2. आया वादिनी शादीसुदा औरत होने तथा प्रतिवादी सं.1 द्वारा वादीनी की शादी पर करीब 30-40 हजार का खर्चा किये जाने के कारण वादिनी का कोई हिस्सा नहीं है?
2 ए - आया, प्रतिवादी संख्या'एक राधाकिशन के गोद चला गया व हणुताराम का वारिस नहीं कहा जा सकता?
2 बी - आया, वादिनी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के

अनुसार पुश्तैनी जायदाद में बंटवाडा कराने का कोई हक नहीं होता व यह वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है?
3 - दादरसी क्या होगी।

तत्पश्चात् दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत हुई जिसमें वादी की ओर से साक्ष्य में पी.ड.1 पालू, पी.ड.2 हेमराज एवं पी.ड.3 प्रकाश चन्द्र के बयान कराए। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में डी.ड.1 बंशीलाल, डी.ड.2 चुन्नीलाल व डी.ड.3 नेमीचन्द के बयान कराए।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार किया गया कि विवादग्रस्त सम्पति में वादिनी का हिस्सा 1/3 है और वह 1/3 हिस्सा पाने की अधिकारी है। सम्पति के बंटवारे हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं कमीश्नर को 500/- रूपए फीस अदा करने का आदेश दिया गया। कमीश्नर सम्पति विभाजन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दो माह में पेश करने का भी आदेश दिया गया। उपरोक्त प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित के विरूद्ध यह अपील है।

इस अपील में योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट की इस प्रकरण में प्रथम बहस यही रही कि वादीया-रेस्पोंडेण्ट पालू, जो अपीलाण्ट व मृतक बंशीलाल की बहन थी और अधीनस्थ न्यायालय ने 1/3 हिस्सा उसका होना बंटवारे के बाद माना है, संयुक्त परिवार के रहने के मकान में उसे बंटवारे का दावा करने का अधिकार नहीं था। इस सम्बन्ध में उन्होंने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि तनकी नम्बर 2 बी का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही नहीं किया गया है। संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा कोई भी मकान का बंटवारा करना तय नहीं किया था। इस प्रकार धारा 23 में जो "चूज टू डिवाईड" शब्द का

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही अर्थ नहीं निकाला गया है। उनका यह तर्करहा कि जो मकान रहवासीय हो और परिवार के सदस्यों द्वारा जिसमें निवास किया जा रहा हो, ऐसे मकान के बंटवारे के लिए जब तक कि पुरूष उत्तराधिकारी मकान का बंटवारा करना तय नहीं कर लेते तब तक किसी महिला उत्तराधिकारी को, जो अनुसूची की श्रेणी-I में बताई गई है, को बंटवारा कराने का अधिकार नहीं रहता, मात्र रहने का अधिकार रहता है वह भी जब तक कि यदि वह शादीशुदा नहीं हो या परित्यक्ता है या अपने पति से बिलकुल ही अलग हो गई हो या विधवा हो। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र बात करने के आधार पर विभाजन करना तय करना मान लिया,जो उचित नहीं था।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 बी के निर्णय में कोई गलती नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के अवलोकन के बाद में स्पष्ट रूप से नतीजे पर आए हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने साक्ष्य का सही मूल्यांकन किया है और मां की मृत्यु के समय बंटवारे की बात की जाना पाई जाती है, जिसे प्रतिवादी बंशीलाल ने भी असत्य नहीं होना बताया। इस प्रकार वादीनी की साक्ष्य को स्वीकार करते हुए धारा 23 के प्रावधानों को देखते हुए भी वह विवादग्रस्त सम्पति में हिस्सा मांगने का अधिकार रखी है।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं धारा 23 हिन्दु उत्तराधिकार विधि का अवलोकन किया। धारा 23 हिन्दु उत्तराधिकार विधि निम्न प्रकार है :

> "**23. SPECIAL PROVISION RESPECTING DWELLING HOUSES.-** Where a Hindu interstate has

left surviving him or her both male and female heirs specified in class I of the Schedule and his or her property includes a dwelling-house wholly occupied by members of his or her family, then, notwithstanding anything contained in this Act, the right of any such female heir to claim partition of the dwelling-house shall not arise until the male heirs choose to divide their respective shares therein; but the female heir shall be entitled to a right of residence therein:

Provided that where such female heir is a daughter, she shall be entitled to a right of residence in the dwelling-house only if she is unmarried or has been deserted by or has separated from her husband or is a widow."

इस सम्बन्ध में वाद-पत्र में जो तथ्य लिखे हैं, उसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। वाद-पत्र में वादीया ने बताया कि हणुताराम जो पिता थे, उनकी मृत्यु सन् 1970 में हो गई और माता की मृत्यु 4.4.1986 को हुई। हणुतारामके वारिसान में वादीनी पालू और उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल व प्रतिवादी संख्या 2 नेमीचन्द ही हैं। वाद-पत्र के पैरा 2 में मकान, जिसके पड़ोस लिखे हैं, आया हुआ है जो पिता का मकान है और उसके उत्तराधिकारी तीनों ही पक्षकार हैं। सबाक 1/3-1/3 हिस्सा है। वादीी का यह भी वाद-पत्र में कथन रहा कि उपरोक्त मकान में प्रतिवादी संख्या 2 बाल बच्चों सहित रहता है। 4.4.1986 को मां के देहान्त होने पर वादीनी जब पीहर आई तब उसे रहने का काम पड़ा तब वादीनी को पता चला कि दोनों ही प्रतिवादीगण ने बिना वादीनी को शामील किए उपरोक्त मकान का आपसी बंटवारा करने जा रहे हैं और दोनों प्रतिवादीगण की नीयत वादीनी का हिस्सा 1/3 होते हुए भी उसे हिस्सा नहीं देने की है इस कारण उसे दावा करना पड़ा।

प्रतिवादी बंशीलाल ने अपना जवाब अलग से पेश किया जिसमें उसने स्वीकार किया कि हणुताराम के दो लड़के बंशीलाल व नेमीचन्द एवं एक

लड़की वादीनी पालू है, मगर वह हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है। पैरा नमबर 2 को सही होना स्वीकार किया। कीमत जो बताई वह सही नहीं है। यह भी जाहिर किया कि हणुताराम की जायदाद में वह हिस्सा पाने की अधिकारणी नहीं है और वह शादीशुदा है और शादी में 30-40 हजार रूपए खर्च किए थे। जब पट्टा बनवाया तब बंशीलाल का नाम भी पट्टे में लिखा गया था। इस प्रकार अकेला बंशीलाल ही जायदाद का हकदार है। प्रतिवादी संख्या 2 नेमीचन्द मकान में नहीं रहता, भगत की कोठी में सरकारी क्वाटर में रहता है। इस मकान में जबरन ताला लगा रखाहै,जबकि अकेले उसे ताला लगाने का हक नहीं है। मकान में बिजली का मीटर भी बंशीलाल के नाम का है। ताला लगाए जाने से बिल समय पर नहीं भर सकता। दावा खारिज करने की इस्तदुआ की। इस प्रकार इसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 का इस मकान में रहने से इनकार किया और ताला लगा रखा है, जाहिर किया और प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार इस मकान में कोई भी नहीं रह रहा है। पैरा नम्बर 5 के जवाब में यह तथ्य नहीं लिखा कि मृत्यु के समय कोई बंटवारे की बात हुई अथवा नहीं, न उसका कोई जवाब ही स्पष्ट रूप से पैरा 5 के जवाब में दिया गया है। मात्र यही लिखा गया है कि वादीया का कोई भी हक या हिस्सा नहीं है। बंशीलाल अकेला ही इसका हकदार है। चूंकि उसके पिता ने उसी के नाम पट्टे में लिख रखाथा।

इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 नेमीचन्द ने अलग से अपना जवाब पेश किया और उसने अपने जवाब में जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 हणुताराम का पुत्र नहीं है बल्कि बंशीलाल को बचपन में ही राधाकिशन को गोद दे दिया था। इस प्रकार वह राधाकिशन की सम्पति का ही वारिस है

न कि हणुताराम की। इसके अलावा यह भी जाहिर किया कि वादीया को किसी प्रकार का कोई हक बंटवारा कराने का धारा 23 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं बनता, रहने का ही अधिकार मिलता है। उसको तकासमा जायदाद का वाद लाने का अधिकार नहीं है। मगर यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 2 अभी भगत की कोठी, रेलवे स्टेशन पर सरकारी क्वाटर में रहता है क्योंकि वादग्रस्त जायदाद गिरने की हालत में है, वह रहवास के काबिल नहीं है। जबकि नेमीचन्द ने वाद-पत्र के पैरा 4 को सही होना भी स्वीकार किया जिसमें यह तथ्य लिखे गए कि प्रतिवादी अपने बच्चों सहित इसमें रहता है, जबकि जवाब में उसने स्वीकार करने के साथ यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 2 भगत की कोठी रेलवे क्वाटर में रहता है क्योंकि वादग्रस्त मकान काबिल रहवास के नहीं है। पैरा नम्बर 5 का जवाब बंटवारा करना उन्होंने तय किया अथवा नहीं, के सम्बन्ध में जाहिर किया कि 4.4.1986 को माता का देहान्त हुआ तो वादीनी जोधपुर आई थी, प्रतिवादी संख्या 2 के साथ पैतृक मकान में रही। उन्हीं दिनों बंशीलाल भी वहां बैठने आता था, उसने वहां झगड़ा किया था कि उसे भी मकान में हिस्सा दिलाया जाए, गोद चला गया तो क्या वह भी हणुताराम का जायन्दा पुत्र है। जबकि गोद चले जाने के कारण उसका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। वादीनी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है न ही बंटवारा कराने का अधिकार है। इस प्रकार इस प्रतिवादी ने 4.4.1986 को दोनों भाईयों के बीच बंटवारा की बात नहीं हुई, को इनकार नहीं की है। इस बिन्दु पर मेरे द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

पी.ड.1 पालू ने अपने बयानो में इस सम्बन्ध में कहा है कि इस

मकान का दोनों भाई आपस में बंटवार कर रहे हैं जो उसने रूकवा दिया, जिस बात को 6 साल हो गए। उसकी मां के गुजरने पर जब वह और उसका आदमी जोधपुर आये थे तब उसके भाईयों ने बंटवारे की बात की थी। उसने उसका हिस्सा मांगा तब उसको देने से इनकार कर दिया तब यह दावा किया है। मकान अब बन्द पड़ा हुआ है। 23.6.1974 को उसकी मां ने जेवर, चांदी व बर्तनों का बंटवारा बराबर दोनों भाईयों में किया था। सोने के जेवर मां के पास रहे थे। मां ने उसे जेवर नहीं दिए, वह नेमीचन्द के पास ही रहती थी। मकान पर नेमीचन्द ने ताला लगा रखा है, जिसके बिजली के बिल बंशीलाल जमा कराता है। मकान में वह 6 साल से नहीं गई है। जिरह में यह भी स्वीकार किया कि माता की मृत्यु के समय बंटवारे की बात हुई तब तीनों भाई बहन मौजूद थे और परिवार के लोग भी मौजूद थे और उसका पति भी मौजूद था। इस प्रकार वादीनी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि माता की मृत्यु के समय बंटवारे की बात हुई थी और उसने अपना बंट मांगा जो भाईयों ने देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब से भी यह स्पष्ट आया है कि मां की मृत्यु के समय बंटवारे के सम्बन्ध में बात अवश्य हुई थी और दोनों भाईयों के बीच में बंटवारे के सम्बन्ध में बातें हुई है और बंशीलाल ने अपना हिस्सा होना माना है। पी.ड.2 हेमराज, जो पालू का पति है, उसका भी कथन है कि उसके ससुराल का मकान महामन्दिर रेलवे स्टेशन के पास है जो तीनों भाई बहिनों का 1/3 हिस्सा है। इस मकान के बंटवारे की बात उसकी सास के गुजरने पर उसके दोनों सालों के बीच हुई तब उसने भी हिस्सा मांगा जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। पी.ड.3 प्रकाश चन्द का भी इसी प्रकार का बयान है कि बंशीलाल की मां गुजरी तब वह बैठने गया तब दोनों भाईयों ने बंटवारे की

बात करी तब पालू ने भी अपना हिस्सा मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण की साक्ष्य देखें। डी.ड.1 बंशीलाल का कथन रहा कि वादग्रस्त मकान में 1/3 हिस्सा उसका है, 1/3 हिस्सा उसके भाई का व 1/3 हिस्सा उसकी बहन का है। यदि कानून है तो उसकी बहन को उसका हिस्सा दिला दो। यह भी जाहिर किया कि इस मकान का बंटवारा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एक ओरा, एक बरामदा, एक रसाई, एक चौक, बरसाली व घर के बाहर चबूतरी है व ऊपर छत है, कीमत तय हो सकती है। मकान छोटा होने की वजह से बंटवारा नहीं हो सकता, भी जाहिर किया। मां के जेवरात नेमीचन्द ने मां के मरने के बाद दबा लिए हैं। चांदी के जेवरात दोनों भाईयों ने बांट लिए, बहन को नहीं दिए। बरतन भाण्डे तो दोनों भाईयों के पास ही रहे। मकान में बहन के हिस्से में उसे एतराज नहीं है। इस प्रकार बंशीलाल ने इस तथ्य से भी इनकारी नहीं की कि मां की मृत्यु पर उन्होंने बंटवारा करना तय किया हो। बहन का हिस्सा होना इसने स्वीकार किया है।

डी.ड.3 नेमीचन्द के बयान का अवलोकन करें, उसका कथन है कि बंशीलाल बचपन में राधाकिशन के गोद चला गया था। मकान में माता पिता की मृत्यु के समय बंटवारे की बात नहीं चली। जिरह में उसका कथन रहा कि उसके सामने बंशीलाल गोद नहीं गया न कोई कागजात देखे। जब वह 10-15 साल का था तब पिता ने बताया कि वह गोद गया है। यह भी जाहिर किया कि विवादग्रस्त मकान उसके कब्जे का है और उसके ताला लगा हुआ है। मां मरी जब क्रियाकर्म इसी मकान में किया था। मगर इस बात से इनकार करता है कि उस समय बंटवारे की बात चली हो। बंशीलाल के बयान भी तरदीद में हुए हैं, उसमें भी उसका कथन रहा कि वह

राधाकिशन के गोद नहीं गया। विवादग्रस्त मकान तीनों भाई बहन का है। वह इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी करता था वहीं से रिटायर हो गया। वहां उसके पिता का नाम राधाकिशन लिखा हुआ था। डी.ड.2 चुन्नीलाल का भी कथन है कि बंशीलाल कभी गोद नहीं गया।

उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से प्रतिवादी नेमीचन्द ने मां की मृत्यु होने के समय बंटवारे की बात होने से इनकारी की है और बंशीलाल ने अपनी तरदीद में कोई भी तथ्य नहीं बताया, मगर जवाब में अवश्य यह बताया कि बंटवारे के समय बंशीलाल ने आकर उससे हिस्सा मांगा था और इस सम्बन्ध में वादीया के अलावा हेमाराम व प्रकाश चन्द के बयानो से भी यह प्रमाणित हुआ है कि मां की मृत्यु के समय बंटवारा करने के सम्बन्ध में बात हुई थी और उसे भाईयों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार धारा 23 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत "चूज टू डिवाईड" का जहां तक प्रश्न है, मां की मृत्यु के समय दोनों भाईयों के बीच बंटवारे के सम्बन्ध में बात हुई है और बंशीलाल ने अपना हिस्सा मांगा। मगर नेमीचन्द ने जाहिर किया कि गोद जाने से उसका अधिकार नहीं बनता और वादीया को हिस्सा देने से मना किया। वाद, जवाबदावे और दोनों पक्षों की साक्ष्य देखने के बाद स्पष्ट साक्ष्य रेकर्ड पर आई है कि मां की मृत्यु के बाद दोनों भाईयों के बीच बंटवारे के सम्बन्ध में बात हुई थी और उस समय वादीया ने भी हिस्सा मांगा, जो उन्होंने देने से इनकार किया। यह तथ्य इस आधार पर भी प्राकृतिक लगता है कि पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और मां की मृत्यु के समय तीनों भाई बहन मौजूद थे और उस समय मकान के बंटवारे के सम्बन्ध में बात हुई है और बहन ने अपना हिस्सा भी मांगा है, वह तभी अपना हिस्सा मांग सकती थी जब दोनों भाई बंटवारे के

सम्बन्ध में बात करते। अत: वादीया का कथन प्राकृतिक लगता है कि दोनों भाईयों के बीच मकान के बंटवारे के सम्बन्ध में बात हुई है, जिसे धारा 23 में "चूज टू डिवाईड" की परिभाषा में लाना ही माना जाएगा।

इस प्रकार योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के इस तर्क से मैं सहमत नहीं कि तनकी नम्बर 2-बी का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने सही नहीं किया। "चूज टू डिवाईड" के सम्बन्ध में कोई भी विशिष्ठ प्रक्रिया नहीं दी गई है, मगर जब भी संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त सम्पति के बंटवारे के सम्बन्ध में विचार करते हैं, बैठकर तय करते हैं या एक पक्ष अपना हिस्सा मांगे और दूसरा देने से इनकार करता है कि, ये सभी परिस्थितियां "चूज टू डिवाईड" में ही आएगी। इसके लिए कोई भी अलग से लिखत करवाने की या पारिवारिक समझौता लिखवाने की आवश्यकता नहीं रहती। संयुक्त परिवार के सदस्यों की यदि मंशा बंटवारा करने की हो गई है और एक भाई अपना हिस्सा मांगता है, दूसरा इनकार करता है, तो यह बंटवारा करने का उन्होंने तय किया है या चुनाव कर लिया है, ही माना जाएगा।

मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि धारा 23 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में विशिष्ठ शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, "includes a dwelling-house wholly occupied by members of his or her family" की व्याख्या यहां करना आवश्यक है, हालांकि इस बिन्दु पर कोई तनकी नहीं बनी, मगर संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा यदि कोई भी रहवासीय मकान पूर्ण रूप से उनके रहवासीय प्रयोजन के लिए उनके कब्जे में है उस मकान के सम्बन्ध में ही धारा 23 का बन्धन है। वादीया ने अपने वाद-पत्र में अवश्य बताया कि नेमीचन्द उस मकान में अपने परिवार के साथ रह रहा है और मां की मृत्यु हुई तब भी वह उस मकान में गई

थी, मगर इस सम्बन्ध में दोनों ही प्रतिवादीगण के जवाब देखें, उनकी विशिष्ठ रूप से स्वीकारोक्तियां हैं कि नेमीचन्द मुतदाविया मकान में नहीं रहता और सरकारी मकान में रहता है और उसने जबरदस्ती से उस पर ताला लगा रखा है। जबकि नेमीचन्द का यह कथन रहा कि वह भगत की कोठी सरकारी क्वाटर में रहता है क्योंकि वादग्रस्त मकान गिरने की हालत में है और रहवास के काबिल नहीं है। वादीया ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया कि मकान अभी बन्द पड़ा है। इस प्रकार साक्ष्य में भी यह तथ्य आया है कि मकान अभी बन्द हालत में है। इस परिस्थिति को भी देखें तो चूंकि यह मकान गिरने की हालत में बन्द अवस्था में पड़ा है, प्रतिवादीगण के स्वयं की स्वीकारोक्ति से तो प्रतिवादी धारा 23 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह एतराज नहीं ले सकता कि उनकी बहन को बंटवारा कराने का दावा करने का अधिकार नहीं है। चूंकि विवादग्रस्त मकान रहवासीय प्रयोजन में काम में नहीं लिया जा रहा है न ही इनका रहवास ही मकान पर है, इनके कब्जे में मकान नहीं है, ताला लगा बन्द करके मकान रख रखा है, मगर उनकी यह भी स्वीकारोक्ति जवाब में है कि यह गिरने की हालत में है, रहवासीय स्थिति में नहीं है और ऐसे मामले में भी धारा 23 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह “dwelling-house” ऐसा नहीं है जो "wholly occupied by members of his or her family” हो और मकान पूर्ण रूप से रहवासीय प्रयोजन में लाया जा रहा हो। अत: धारा 23 का बन्धन ऐसे प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय में कोई तनकी नहीं बनी और वादीया ने अपने बयानो में नेमीचन्द के कब्जे में मकान होना बताया है, मगर प्रतिवादीगण ने यह मकान बन्द होना व रहने योग्य नहीं होना बताया

है और गिरने की हालत में होना बताया है और ताला लगा होना बताया है, जो वादी की साक्ष्य में भी आया है। इस दृष्टि से भी देखा जावे कि यह "Dwelling House wholly occupied by members of his or her family" होना भी नहीं मानाजा सकता, मगर इस बिन्दु पर अधिक नहीं जाते हुए माता की मृत्यु के समय हिस्सेदारान द्वारा बंटवारा कराने की मंशा जाहिर की थी और बंशीलाल ने अपना हिस्सा भी माना है और नेमीचन्द ने अपने बयानो में इनकारी भी नहीं की और वादीया ने अपनी साक्ष्य से, जैसाकि ऊपर देखी गई है, पूर्ण रूप से इस तनकी को साबित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2-बी का जो निर्णय किया है इसमें मैं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं पाता।

जहां तक तनकी नम्बर 2-ए क प्रश्न है, इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट अधिक बहस नहीं कर पाए हैं क्योंकि बंशीलाल के गोद जाने की कोई साक्ष्य विश्वसनीय रेकर्ड पर नहीं आई है, मात्र सर्विस रेकर्ड पर पिता का नाम राधाकिशन लिखे जाने से वह रिवाज के अनुसार गोद गया हो, गिविंग-टेकिंग सेरीमनी हुई हो या गोदनामा लिखा गया हो, कोई भी साक्ष्य पर नहीं आया।

जहां तक तनकी नम्बर 2 का प्रश्न है कि वादीया शादीशुदा औरत होने से और उसकी शादी में तीस-चालीस हजार रूपए खर्च हो जाने से उसका हिस्सा नहीं रहता हो, इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किया है और इस बिन्दु पर वादीया बंटवारे की अधिकारणी नहीं रहती, स्पष्ट रूप से नकारात्मक जवाब दिया है और वादीया को बंटवारा कराने का अधिकार होना स्पष्ट रूप से माना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम बिन्दुओं पर साक्ष्य का सही रूप से विवचेन किया है और जो नतीजा

निकाला है उसमें मैं कोई हस्तक्षेप के आधार नहीं पाता।

इसके अलावा मेरे समक्ष अन्य कोई बिन्दु नहीं उठाया गया है।

उपरोक्त विवेचन से, मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा उठाए गए तर्को से सहमत नहीं हूं और इस अपील में कोई बल नहीं पाता, जो मय खर्चा खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार आचार्य)

शर्मा जी.एन.